Corporate sponsorship for sports and Games

6081. SHRI V. HANUMANTHA RAO: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether sports and other international games in India receive encouragement through corporate sponsorship;

(b) whether any assessment has been made about the extent of corporate sponsorship of sports and games;

(c) whether Government have taken any steps to obtain corporate sponsorship for athletes' training for Olympics;

(d) whether Government has made any attempts to encourage corporations to select and sponsor training of talented sportsmen and women; and

(e) if so, details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MNISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF YOUTHS AFFAIRS AND SPORTS (SHRI MUKUL WASNIK): (a) Yes, Sir.

(b) No, Sir.

(c) to (e) Government has used the forums of Confederation of Indian Industry (CII) and Federation of Indian Chambers of Commerce & Industry (FICCI) to elicit the support of Indian Industry for obtainng sponsorship for athletes' training for international events. This is being followed by dialogue with Public and Private Sector Undertakings. As a result of the continuous dialogue, the following Sports Academies have been stated:—

(i)	Air India	Hockey Academy at New Delhi.
(ii)	Steel Authority of India	Hockey Academy at Rourkela (Orissa) for tribal youth.
(iii)	Northern Coal Fields Ltd.	Acrhery Academy at Singrauli, M.P.
(iv)	Goodrick	Chess Academy at Calcutta.
(v)	Central Excise	Tennis Academy at Calcutta.

शैक्षिक खर्च के संबंध में राज्य सरकारों के साथ केंद्र का समझौता

6082. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौवीं पंचवर्षीय योजना से राष्ट्रीय आय का छह प्रतिशत शिक्षा पर खर्च करने तथा शिक्षा अधिशुल्क लगाने के बारे में केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच हाल ही में कोई समझौता हुआ है,

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में शिक्षा-संबंधी स्तर का ब्यौरा क्या है, और क्या सरकार इन राज्यों में चलाए जा रहे शैक्षिक, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास कार्यक्रमों की पुनरीक्षा करने के पक्ष में है ;

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि और नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्राथमिक और प्रौढ शिक्षा को प्राथमिकता देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) हाल ही में समपन्न हुई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और शिक्षा मंत्रियों की बैठक के क्या निष्कर्ष हैं ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग में

उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) फरवरी 1994 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हुई चर्चाओं का सारांश संलग्न विवरण–I में दिया गया है (नीचे देखिये) राज्यों की साक्षरता स्तर का ब्यौरा संलग्न विवरण–2 में दिया गया है । नीचे देखिए सातवीं योजना के दौरान प्रारंभिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लिए आवंटित व्यय क्रमश: 37.3% और 6.2% के स्थान पर आठवीं योजना में प्रारंभिक शिक्षा के लिए योजनागत परिव्यय का 45.6% तथा प्रौढ़ शिक्षा के लिए 9.2 प्रतिशत आवंटित करके इन्हें आठवीं योजना तैयार करते समय उच्च प्राथमिकता दी गई है । नौवीं पंचवर्षीय योजना का परिव्यय अभी तक तैयार नहीं किया गया है ।

विवरण––1

सभी के लिए शिक्षा पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में हुई चर्चाओं का सारांश

1. सम्मेलन में इस बात पर पूर्ण रूपेण एक मत था कि सभी के लिए शिक्षा को देश के विकास की कार्य सूची में सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए । नौवीं योजना में शिक्षा पर परिव्यय के लिए राष्ट्रीय आय की 6% धनराशि निर्धारित करने की प्रधान मंत्री की घोषणा का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्रीगण संसाधन जुटाने में केन्द्र सरकार के प्रयासों को मदद पहुंचाने तथा राज्य योजनाओं में प्रारंभिक और प्रौढ़ शिक्षा को उच्चतर प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सहमत हुए ।

2. यह महसूस किया गया कि बजटीय संसाधनों के अलावा सामुदायिक संसाधन जुटाने तथा प्राइवेट पहल के लिए काफी गुंजाइश है । आम तौर पर इस बात पर सहमति थी कि शिक्षा उपकर केन्द्र और राज्य दोनों द्वारा संसाधन जुटाने का एक साधन हो सकता है तथा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उपकर से प्राप्त आय को शैक्षिक विकास के लिए ही विनियोजित किया जाए । यह सुझाव दिया गया कि दसवें वित्त आयोग को प्रारंभिक शिक्षा की तात्कालिक जरूरतों को ध्यान में रखना चाहिए तथा यह कि विश्वविद्यालयों तथा राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं को दान देने पर आयकर के अंतर्गत जो छूट प्रदान की जाती है वह छूट प्रारंभिक शिक्षा के लिए दान देने पर भी प्रदान की जाए ।

3. इस बात पर भी सहमति हुई थी कि संसाधनों के और अधिक आवंटन के साथ-साथ अपने-अपने राज्यों में कार्यक्रमों के कारगर कार्यान्वयन तथा अनुश्रवण के जरिए संसाधनों के बेहतर उपयोग का सुनिश्चय भी जरूरी है । मुख्यमंत्री-गण इस क्षेत्र में हुई प्रगति का समय-समय पर समीक्षा करेंगे ताकि सभी के लिए शिक्षा तथा शैक्षिक सेवाओं और कार्यक्रमों के प्रबंधन को जो उच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है उसके बारे में पूरे राज्य में और अधिक कारगर ढंग से सही संकेत भेजे जा सकें ।

4. चर्चा के दौरान गैर सरकारी संगठनों, शिक्षक संघों तथा सामाजिक रूप से जागरूक व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता स्पष्ट रूप से महसूस की गई । इस अवधारणा में सभी की भागीदारी थी कि शैक्षिक प्रशासन के समुचित विकेंद्रीकरण तथा समाज की और अधिक भागीदारी के बगैर प्रारंभिक शिक्षा को सर्वसुलभ नहीं बनाया जा सकता । पहले की तरह एक बार फिर स्कूल को एक महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन होना चाहिए ।

5. मुख्यमंत्रियों ने महसूस किया कि तिहत्तरवां तथा चौहत्तरवां संवैधानिक संशोधन, संशोधनों द्वारा उपलब्ध समय सीमा के भीतर शैक्षिक प्रशासन को विकेंद्रीकृत करने का एक अवसर प्रदान करते हैं । विकेन्द्रीकरण पर केब समिति की सिफारिशों का समर्थन किया गया था और समयबद्ध ढंग से संवैधानिक संशोधनों का अनुसरण करने तथा अधीनस्थ विधान तैयार करने के लिए राज्य विधानों को अधिनियमित करते समय इन सिफारिशों को उचित ढंग से कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया था ।

6. मुख्य मंत्रियों की राय थी कि विधायी उपायों के अलावा विकेंद्रीकृत ढांचे के सदस्यों का प्रबोधना आवश्यक है ताकि वे अपने उत्तरदायित्वों को पूरा कर सकें ।

7. मुख्य मंत्री-गण इस बात पर भी सहमत हुए कि प्राथमिक शिक्षा और शिशु देख रेख एवं शिक्षा (ई.सी. सी.ई.) आई. सी.डी.एस. स्कूल स्वास्थ्य और पोषण जैसी सबद्ध सेवाओं के अभिसरण को प्रोत्साहित करने के प्रयास किए जाएंगे । यह महसूस किया गया था कि दक्षता सुधार करने के अलावा इस प्रकार के अभिसरण से नामांकन में वृद्धि होगी तथा स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में कमी आएगी ।

8. यह महसूस किया गया था कि बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश जैसे शैक्षिक रूप से पिछड़े राज्यों में विशिष्ट प्रयासों की आवश्यकता है । शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला एव बाल विकास तथा पोषण के संबद्ध क्षेत्रों में इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने में गति को बनाए रखने तथा एक दूसरे का सहयोग प्राप्त करने की बात को ध्यान में रखते हुए इन राज्यों के कार्यक्रमों की समीक्षा समय समय पर मुख्य मत्रियों के एक दल द्वारा की जाएगी ।

विवरण—2

7 वर्ष तथा इससे अधिक आयु वाले बच्चों की अनुमानित जनसंख्या में साक्षर बच्चों का प्रतिशत : 1991

राज्य	साक्षरता दर (1991 जनगणना) प्रतिशत
आन्ध्र प्रदेश	44.09
अरुणाचल प्रदेश	41.59
असम	52.89
बिहार	38.48
गोवा	75.51
गुजरात	61.29
हरियाणा	55.85
हिमाचल प्रदेश	63.86
जम्मू और कश्मीर	32.68
कर्नाटक	56.04
केरल	89.81
मध्य प्रदेश	44.20
महाराष्ट्र	64.87
मणिपुर	59.89
मेघालय	49.10
मिजोरम	82.27
नागालैण्ड	61.65
उड़ीसा	49.09
पंजाब	58.51
राजस्थान	38.55
सिक्किम	56.94
तमिलनाडु	62.66
त्रिपुरा	60.44
उत्तर प्रदेश	41.60
पश्चिम बंगाल	57.70
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	73.02
चंडीगढ़	77.81
दादरा और नगर हवेली	40.71
दमन और दीव	71.20
दिल्ली	75.29
लक्षद्वीप	81.78
पांडीचेरी	74.74
सम्पूर्ण भारत :	52.21

* साक्षरता दर 1981 की है क्योंकि 1991 की जनगणना राज्य में आयोजित नहीं की गई थी ।

स्रोत : भारत की जनगणना 1991, अंतिम जनसंख्या योग (1992 के पृष्ठ 2)